

36734 - उसे सच्ची या झूठी कसम खाने की आदत है, तो वह इन कसमों का प्रायश्चित कैसे करे?

प्रश्न

दुर्भाग्य से, मुझे बचपन ही से सच्ची या झूठी कसमों खाने की आदत पड़ गई और मैंने इस बुरी आदत को छोड़ने की बहुत कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं सही रास्ते पर हूँ। मेरा सवाल यह है कि पिछली कसमों का क्या हुक्म है? मुझे क्या करना चाहिए कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे? क्या मैं हर कसम का कफ़ारा अदा करूँ, लेकिन समस्या यह है कि मुझे उन कसमों की संख्या मालूम नहीं है जो मैंने खाई हैं।

उत्तर का सारांश

यह है कि जो कसम आपने भविष्य में किसी चीज़ के करने या न करने पर खाई है, और उसे तोड़ दिया है, तो उसमें आप पर कफ़ारा अनिवार्य है।

और जो कसम आपने अतीत में किसी चीज़ पर खाई है कि आपने उसे किया था या नहीं किया था और आप उसमें झूठे हैं, तो उसपर कोई कफ़ारा नहीं है, और आपको अल्लाह के सामने तौबा करना चाहिए और अल्लाह तआला तौबा करने वाले की तौबा को स्वीकार करता है और क्षमा कर देता है।

अल्लाह आपको सामर्थ्य प्रदान करे और आपके पापों को क्षमा करे।

विस्तृत उत्तर

कसम तीन प्रकार की होती हैं:

पहली :

आयोजित कसम : यह वह कसम है जिसका कसम खाने वाला व्यक्ति इरादा रखता है और उसपर सुदृढ़ होता है, तथा यह भविष्य के किसी मामले पर आधारित होती है कि वह उसे करेगा या उसे नहीं करेगा।

इसका हुक्म यह है कि : इस कसम को तोड़ने की सूरत में कफ़ारा (प्रायश्चित) वाजिब है।

इब्ने कुदामा, रहिमहुल्लाह कहते हैं : “जिस व्यक्ति ने कुछ करने की कसम खाई, फिर उसे नहीं किया, या कुछ न करने की कसम खाई, फिर उसे कर लिया, तो उस पर कफ़ारा (प्रायश्चित) वाजिब है।” सभी क्षेत्रों के फ़ुक्हा के बीच इसमें कोई मतभेद नहीं है।

इब्ने अब्दुल-बर्र कहते हैं : मुसलमानों की सर्वसम्मति के अनुसार, जिस क़सम में कफ़ारा (प्रायश्चित) अनिवार्य है, वह भविष्य के कार्यों पर खाई गई क़सम है।" अल-मुग्नी (9/390)।

दूसरी :

व्यर्थ क़सम : यह क़सम के इरादे के बिना क़सम खाना है, और इस क़सम में कोई कफ़ारा (प्रायश्चित) नहीं है।

क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾.

البقرة/225

"अल्लाह तुम्हें तुम्हारी क़समों में निरर्थक पर नहीं पकड़ता, बल्कि तुम्हें उसपर पकड़ता है, जिसका तुम्हारे दिलों ने इरादा किया है। और अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला, अत्यंत सहनशील है।" (सूरतुल-बक्रा : 225)।

आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है :

यह आयत ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ "अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी क़समों में निरर्थक पर नहीं पकड़ता।" आदमी के इस प्रकार क़सम खाने: "ला वल्लाह, बला वल्लाह (नहीं, अल्लाह की क़सम!, क्यों नहीं, अल्लाह की क़सम!) के बारे में उतरी।" इसे बुखारी (हदीस संख्या : 4613) ने रिवायत किया है।

जो व्यक्ति किसी ऐसी चीज़ पर क़सम खाए जिसे वह समझता है कि वह वैसी ही है जैसी उसने क़सम खाई है, पर वह उसके विपरीत निकली, तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार उसपर कोई कफ़ारा (प्रायश्चित) नहीं है और वह व्यर्थ शपथ में से है।

इब्ने कुदामा रहिमहुल्लाह कहते हैं : "जो व्यक्ति किसी चीज़ पर य समझते हुए क़सम खाए कि वह वैसी ही है जैसी उसने क़सम खाई थी, पर वह वैसी नहीं थी, तो उसपर कफ़ारा (प्रायश्चित) नहीं है; क्योंकि यह व्यर्थ शपथ में से है।" अधिकांश विद्वानों का मत है कि इस क़सम में कोई कफ़ारा (प्रायश्चित) नहीं है। यह बात इब्नुल-मुज़िर ने कही है। यही मत इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा, अबू मालिक, जुरारह बिन औफ़ा, हसन, नखई, मालिक, अबू हनीफा और सौरी से वर्णित है।

जिन लोगों ने कहा है कि : यह व्यर्थ क़सम है, उनमें : मुजाहिद, सुलैमान बिन यसार, औज़ाई, सौरी और अबू हनीफा और उनके साथी हैं।

अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि व्यर्थ क़सम में कोई कफ़ारा (प्रायश्चित) नहीं है। इब्ने अब्दुल-बर्र रहिमहुल्लाह कहते हैं : इस पर मुसलमानों की सर्वसम्मति है।

क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾

“अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी क़समों में निरर्थक पर नहीं पकड़ता।” और यह उसी में से है, और इसलिए भी कि उसका विरोध का इरादा नहीं था। अतः यह ऐसा है जैसे उसने भूलकर क़सम तोड़ दी हो।” "अल-मुज़नी" (393/9) से उद्धरण समाप्त हुआ।

तीसरी :

किसी अतीत की बात पर झूठी क़सम खाना। यह बड़े गुनाहों में से है, और विद्वानों की बहुमत के निकट इसमें कोई कफ़ारा (प्रायश्चित) नहीं है। क्योंकि यह इससे कहीं बड़ा है कि प्रायश्चित किया जाए।

जब यह ज्ञात हो गया, तो तुमने जो पक्की (आयोजित) क़सम खाई है और उसे तोड़ दिया है, तो उसमें तुम्हारे लिए कफ़ारा आवश्यक हो जाता है।

यदि आप इन क़समों की संख्या भूल गए हैं, तो आप भरपूर प्रयास करें और इतना प्रायश्चित करें (कफ़ारा निकालें) कि आपको यह प्रबल गुमान हो जाए कि आप उसके द्वारा दोष से मुक्त हो जाएँगे।

और इन क़समों में से जो एक ही काम के करने, या एक ही काम के छोड़ने से संबंधित है, तो उसमें एक ही कफ़ारा अनिवार्य है, उसका उदाहरण यह है कि आप यह क़सम खा लें कि फलौं से बात नहीं करेंगे, फिर आप उस क़सम को तोड़ दें और उसका कफ़ारा न अदा करें, फिर आप दोबारा क़सम खा लें कि उससे बात नहीं करेंगे, फिर उस क़सम को तोड़ दें, तो आप पर केवल एक कफ़ारा अनिवार्य है।

इसके विपरीत यदि आपने उससे बात न करने की क़सम खाई है, फिर आपने, उदाहरण के लिए, उसका खाना न खाने की क़सम खाई है, तो ऐसी स्थिति में आपको दो प्रायश्चित्त करने होंगे। इसका उल्लेख प्रश्न संख्या : (34730) के उत्तर में पहले किया जा चुका है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।